न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती दीप्ति शर्मा आर0ए0एस0

सप्लाई विविध संख्या 16/2023 (2023/49)

प्रार्थी :–

राज्य सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना महामन्दिर जोधपुर पूर्व

बनाम

अप्रार्थी :–

पप्पाराम पुत्र भानाराम जाति विश्नोई उम्र 46 साल निवासी मकान नम्बर 81, राजीव नगर ए, गन्दे नाले के पास, पुलिस थाना महामन्दिर, जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थिति :–

अप्रार्थी अनुपस्थित

–: आदेश :– दिनांक :– 14.05.2024

श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक/कोर्ट/डीएम/23/1208 दिनांक 20.07.2023 की अनुपालना में इस्तगासा सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। संक्षिप्त में इस्तगासा के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी थानाधिकारी पुलिस थाना महामन्दिर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत पेश कर बतलाया कि दिनांक 24.02.2023 को दोपहर में मन देरावर सिंह आरपीएस सहायक पुलिस आयुक्त जोधपुर पूर्व को जरिये मुखबिर के सूचना मिली के पप्पराम पुत्र भानराम जाति विश्नोई पेशा दुध का व्यापार निवासी रामड़ावास हाल निवासी मकान नम्बर 81 राजीव नगर ए गन्दे नाले के पास पुलिस थाना महामन्दिर जोधपुर अपने बाड़े में अवैध घरेलु गैस की विभिन्न टंकियो में रिफिलिंग का कार्य करते है। प्राप्त इत्तलानुसार मकान नम्बर 81 में एक व्यक्ति घरेलु गैस की टंकियो से व्यवसायिक गैस की टंकियो में गैस रिफिलिंग मशीन से रिफिलिंग करता पाया गया। मौके पर गैस रिफिलिंग करते हुए व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.08.06 17:22:10 IST
Reason: SelfAttested

जिस पर उस शख्स को दस्तयाब कर नाम पता पुछा तो उपरोक्त होने की पुष्टि की। मौके पर मकान नम्बर 81 राजीव नगर की तलाशी ली गई तो उस शख्स के कब्जे से एक इलेक्ट्रिक मशीन (गैस रिफिलिंग मशीन) मोटर पर एक घरेलु गैस सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी का इलेक्ट्रिानिक कांटा पर उल्टा रखा हुआ पाया गया जिसके नोजल पर गैस पाईप लगी हुई पाई गई व एक अन्य ईलेक्ट्रिानिक कांटा पास रखा हुआ तथा कुल व्यवसायिक 06 इण्डेन, 04 एचपी गैस कम्पनी की खाली टंकिया, 10 भरी हुई ईण्डेन कम्पनी की घरेलु गैस टंकी व 10 एचपी कम्पनी की खाली घरेलु गैस टंकिया पाई गई जिसके सम्बन्ध में श्री पप्पाराम को घरेलु गैस मशीनरी के माध्यम से अवैध रूप से अन्य टंकियो में रिफिलिंग करने तथा टंकियो का भण्डारण करने के सम्बन्ध में वैध लाईसेन्स के सम्बन्ध में पूछा तो पप्पाराम ने अपने पास कोई वैध लाईसेन्स व अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया। इस प्रकार पप्पाराम द्वारा बिना अनुज्ञा पत्र के उक्त व्यवसायिक गैस टंकियों से गैस रिफिलिंग मशीन द्वारा अन्य टंकियो में अवैध रूप से गैस भरना, ज्वलनशील पदार्थ को उपेक्षापूर्ण तरीके से ईलेक्ट्रिानिक मशीन द्वारा गैस टंकियो में भरना जिससे मानव जीवन को संकट उत्पन्न करना व बिना अनुज्ञा पत्र बिल व डायरी के भारी मात्रा में घरेलु गैस सिलेण्डर अपने कब्जे में रखना जुर्म धारा 3/7 ईसी एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध होने से पप्पाराम के कब्जे से मिली कुल व्यवसायिक 06 इण्डेन, 04 एचपी गैस कम्पनी की खाली टंकिया, 10 भरी हुई ईण्डेन कम्पनी की घरेलु गैस टंकी व 10 एचपी कम्पनी की खाली घरेलु गैस टंकिया व 01 ईलेक्ट्रिक मशीन (गैस रिफिलिंग मशीन) तथा 01 ईलेक्ट्रिानिक कांटा जो मालखाना में जमा है, का आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध प्रमाणित होने से उपरोक्त जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों का निस्तारण किये जाने की प्रार्थना की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी पप्पाराम की ओर से दिनांक 31.08.2023 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 457 सीआरपीसी का पेश किया गया जिसमें अप्रार्थी द्वारा बतलाया गया कि उक्त सिलेण्डर प्रार्थी द्वारा अपने रिश्तेदारो में होने वाले विवाह समारोह में इस्तेमाल करने के लिये उनके द्वारा कहेअनुसार प्रार्थी द्वारा अपने रिश्तेदारो से टंकिये प्राप्त कर उन्हे अपने बाड़े में रखी थी। उक्त टंकिया रिश्तेदारों के शादी समारोह में अलग–अलग दिनांको को रिश्तेदार द्वारा मेरे बाड़े से ले जानी थी। उक्त टंकिया जिनसे प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.08.06 17:22:10 IST
Reason: SelfAttested

की उनके गैस डायरी की फोटो प्रति संलग्न है। अन्त में अप्रार्थी ने उपरोक्त टंकियो को जमानतनामा एवं सूपूर्दगीनामे पर छोड़े जाने की प्रार्थना की।

अप्रार्थी को जबाव व बहस हेतु न्यायहित में कई बार अवसर प्रदान किये गये परन्तु अप्रार्थी बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी का जवाब बंद किया जाता है।

हमने पत्रावली एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 457 सीआरपीसी का अवलोकन किया। प्रथमतः प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि मौके पर घरेलु एवं व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों के साथ–साथ 01 ईलेक्ट्रिक मशीन (गैस रिफिलिंग मशीन) तथा 01 ईलेक्ट्रानिक कांटा पाया गया। मौके पर उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों के कोई वैध कागजात पेश नहीं किये गये। द्वितीयतः घरेलु गैस टंकियो से अवैध रूप से अन्य टंकियो में गैस रिफिलिंग मशीन से रिफिलिंग करने तथा टंकियो का भण्डारण करने बाबत वैध लाईसेन्स के सम्बन्ध में पूछा तो पप्पाराम ने अपने पास कोई वैध लाईसेन्स व अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से अन्य सिलेण्डरों में गैस भरने का कृत्य किया गया। अवैध गैस सिलेण्डर संग्रहीत रखने व बिना वैध अनुज्ञा पत्र उनका उपयोग करने पर अप्रार्थी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 4(a)(b) की स्पष्ट अवहेलना की गई है जिसके आधार पर अप्रार्थी पप्पाराम का प्रार्थना पत्र अतर्गत धारा 457 सीआरपीसी का खारिज किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रार्थी द्वारा की गई कार्यवाही से सहमत होते हुए उपरोक्त जब्तसुदा गैस सिलेण्डर, 01 ईलेक्ट्रिक मशीन (गैस रिफिलिंग मशीन) तथा 01 ईलेक्ट्रानिक कांटा को राज्यसात (Confiscate) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी थानाधिकारी पुलिस थाना महामन्दिर जोधपुर पूर्व को निर्देश दिये जाते है कि उपरोक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों, एक इलेक्ट्रोनिक कांटा व 01 ईलेक्ट्रिक मशीन (गैस रिफिलिंग मशीन) को जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को सूपूर्द करें। जिला रसद अधिकारी (प्रथम) जोधपुर को निर्देश दिये जाते है कि उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरो को संबंधित गैस एजेन्सी में जमा करावें। गैस सिलेण्डरों से प्राप्त राशि निर्धारित मद में राजकोष में जमा करायी जावे। प्रकरण में जब्तशुदा एक इलेक्ट्रोनिक कांटा व गैस भरने में प्रयुक्त 01 ईलेक्ट्रिक मशीन (गैस रिफिलिंग मशीन) को नीलामी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.08.06 17:22:10 IST
Reason: SelfAttested

माध्यम से बेचकर इससे प्राप्त राशि को निर्धारित मद में राजकोष में जमा करावें। आदेश की एक प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना महामन्दिर जोधपुर पूर्व एवं एक प्रति जिला रसद अधिकारी (प्रथम) जोधपुर को भिजवाई जावे। इस आशय की तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

(दीप्ति शर्मा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 14.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दीप्ति शर्मा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.08.06 17:22:10 IST
Reason: SelfAttested